राजस्थान–सरकार

–:: न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी, अंकित कुमार सिंह, (आई ए एस)

प्रकरण संख्या :–20 / 2026 — दायर दिनांक :–10.03.2026

जी.सी.एम.एस. :–2026 / 20 — फैसला दिनांक :–30.03.2026

श्री सरकार बजरिए भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रेमशंकर पिता श्री भैराजी,
2. श्रीमति हांजु पत्नि श्री प्रेमशंकर,

निवासीयान–खेमारू तहसील व जिला डूंगरपुर

–विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. भूमिधारी तहसीदार डूंगरपुर –प्रार्थी
2. श्री कन्हैयालाल पाटीदार, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौझा खेमारू के खसरा नम्बर 573 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :–राजस्व / भू.अ. / 1903–5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा आवंटित की गई थी। विपक्षी को आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तो की पालना नही कि गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा किया गया है। विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन नियम 14 (3) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से उक्त आदेश द्वारा आवंटित की गई भूमि को निरस्त करने हेतु प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता कि ओर से अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया विपक्षीगण के नाम से मौजा ग्राम खेमारू पटवार हल्का खेमारू मे मौजा गांव खैमारू मे वर्तमान खसरा नंबर 573 रकबा 0.08 हेक्टयेर जमीन का कई वर्षो से कब्जा होने के वजह से हम प्रार्थीगण को विधिवत् आंवटन हुई है। उक्त आराजीयात पर पैतृक कब्जा चला आ रहा है उक्त जमीन पर मकान बना हुआ है तथा कई वर्षो से खेती करते आ रहे है। हमारे साथ आवंटन भूमि को वर्तमान सरपंच के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी मे परिवर्तन करवाया दिया है, सरपंच ने जानबुझ कर हमारी जमीन को गैर खातेदार ही रहने दिया है। उक्त आवंटन जमीन के अलावा हमारे पास अन्य जमीन नही है। विपक्षीगण द्वारा नियम 14 (3) का स्पष्ट से पालना की गई है तथा हमारी जमीन गैर खातेदार होने से हमे यह नोटीस जानबुझ कर प्रेषित किय गया है। विपक्षीगण गरीब आदीवासी होकर मुझ प्रार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड मे बहुत कम जमीन है जिस कारण हमारी आवंटीत जमीन का आंवटन निरस्त नही किया जाना न्यायहीत मे आवश्यक है। उक्त खसरा नंबर 573 रकबा 8 हैक्टयेर पर विपक्षीगणो का पैतृक कब्जा होकर मकान एवं उक्त जमीन को समतलीकरण कर खेती कर रहे है, जिसमे काफी व्यय हुआ है। तथा कई आवंटी जमीन पर कई वर्षो से काश्त कर रहे है। जिसके फोटो ग्राफ जवाब के साथ संलग्न है। अतएवं श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षीगण उक्त

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जमीन में किसी प्रकार का राजस्व रेकार्ड में परितर्वन नही करने की कृपा करे एवं उक्त जमीन हमारे नाम से खातेदार अधिकारी दिलाने का आदेश फरमावे।

उभयपक्षो की बहस समायत की गई। विपक्षीगण कि ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया की मौजा गांव खैमारू के वर्तमान खसरा नंबर 573 रकबा 0.08 हेक्टयेर जमीन का कई वर्षो से कब्जा होने के वजह से विपक्षीगण को विधिवत् आंवटन हुई है। उक्त आराजीयात पर पैतृक कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थी राजकीय पेरोकार द्वारा अपने कथन में विपक्षीगण को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। विपक्षी द्वारा आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तो की पालना नही कि गई एवं न ही मौके पर आदिनांक तक कब्जा किया गया है। विपक्षीगण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से विपक्षी को आवंटित की गई भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मौझा खेमारू के खसरा नम्बर 573 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :—राजस्व/भू.अ./1903—5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा विपक्षीगण को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा उपरोक्त आवंटीत आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की हैं। अतः आवंटन नियमों के उल्लघन साबित होने से आवंटन खारिज योग्य है।

अतः उपलब्ध अभिलेख एवं प्रतिवेदन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 अपील स्वीकार की जाकर मौझा खेमारू के खसरा नम्बर 573 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक :—राजस्व/भू.अ./1903—5 दिनांक 13.01.2022 द्वारा विपक्षीगण को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि को निरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डूंगरपुर आवंटित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे ।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(अंकित कुमार सिंह))
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर